

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975

(The U.P. Basic Education Provident Fund Rules, 1975)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 (1) के अधीन
(प्रथम संशोधन, 1979 एवं द्वितीय संशोधन, 1995 सहित)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम (Short Title)—यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली 1975 कहलायेगी।

2. परिभाषाएँ (Definitions) — इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" (Act) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" (Appointing Authority) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1973 की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(ग) "परिषद्" (Board) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "कर्मचारी" (Employee) का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 उप-धारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त तथा धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी से है,

(ङ.) "ब्याज" (Interest) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर भविष्य निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज से है;

(च) "वेतन" (Pay) का तात्पर्य फण्डामेण्टल, रूल्स, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के नियम 9 के उपनियम (21) के अधीन इसके लिए दिये गये अर्थ से होगा।

(छ) "अभिदाता" (Subscriber) का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो नियम 3 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में अभिदान करने का हकदार हो।

3. भविष्य निधि की स्थापना (Establishment of Provident Fund)—परिषद् अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि स्थापित करेगी तथा उसका अनुरक्षण करेगी।

4. भविष्य निधि में अभिदान (Contributions to the Provident Fund)—(1) प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी प्रति मास ऐसी दर से जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से कम न हो, ऐसी दर से अधिक न हो जो परिषद् द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित की जाये, भविष्य निधि में अंशदान करेगा अभिदान की धनराशि पूरे रुपये में होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अभिदान की जाने वाली धनराशि उसके वेतन से काट ली जायेगी और नियम 3 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में तुरन्त जमा कर दी जाय।

(3) परिषद् उपनियम (2) के अधीन केतन से की गई कटौती की धनराशि के आधे के बराबर अंशदान करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दशा में ऐसा अंशदान कर्मचारी के वेतन के बीसवे भाग के बराबर धनराशि से अधिक नहीं होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो या तो सम्बद्ध नगर निगमों की पेंशन विनियमावली या जिला पंचायत कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 के अन्तर्गत आते हों, भविष्य निधि में कोई अंशदान नहीं करेगी।

5. अंशदान का जमा किया जाना (Deposit of Contributions)—(1) राज्य सरकार केंद्र किन्हीं भी निदेशों के अधीन रहते हुए, नियम 3 के अधीन स्थापित भविष्य निधि की लेखा सरकारीकोषागार में खोला जायेगा।

(2) यदि भविष्य निधि का लेखा सरकारी कोषागार में खोला जाये, अभिदाता के नाम जमा की गई धनराशि पर देय ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

6. अभिदाताओं का लेखा (Account of subscribers)—(1) परिषद प्रत्येक अभिदाता के सम्बन्ध में प्रपत्र 1 में एक वैयक्तिक खाता बही रखेगी।

(2) वैयक्तिक खाता बही में—

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित जमा किया जायेगा—

- i. इस नियमावली के अधीन अभिदाता तथा परिषद् द्वारा किये गये समस्त अभिदान
- ii. नियम 11 तथा नियम 12 के अधीन अग्रिम के प्रतिदान में अभिदाता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि
- iii. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व परिषद् के नियन्त्रणाधीन भविष्य निधि में अभिदाता के नाम समस्त धनराशि यदि कोई हो, और
- iv. इसमें इसके पूर्व उल्लिखित धनराशियों पर प्रोद्भावी ब्याज, यदि कोई हो।

(ख) अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थानान्तरित किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में—

- i. इस नियमावली के अधीन अभिदाता परिषद् द्वारा किये गये समस्त अभिदान
- ii. नियम 11 तथा नियम 12 के अधीन अग्रिमों के प्रतिदान में अभिदाता द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि
- iii. स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित तथा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् की अन्तरित किसी भविष्य निधि में धनराशि, यदि कोई हो
- iv. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व परिषद् के नियन्त्रणाधीन भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि, यदि कोई हो, और
- v. इसमें इसके पूर्व उल्लिखित धनराशियों पर प्रोद्भावी ब्याज, यदि कोई हो।

7. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया (Procedure on death of subscriber) किसी अभिदाता की मृत्यु व उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि उसे देय होने के पूर्व यदि धनराशि देय हो गयी हो तो उनका भुगतान न होने के पूर्व होने पर अभिदाता के जमा खाते की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(एक) जब अभिदाता अपने पीछे परिवार छोड़ता है, और—

(क) यदि निगम 13 के या एतदपूर्व प्रदत्त तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन विद्यमान है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध में नामांकन हो, उसके नामांकित या नामांकितियों को, नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय हो जायेगी

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई ऐसा नामांकन न हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि के केवल किसी भाग के सम्बन्ध में हो, तो यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध में नामांकन न हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में तात्पर्यित किसी नामांकन के होते हुये भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर भाग में देय हो जायेगी

परन्तु कोई अंश—

- (1) पुत्रों को जो वयस्क हो गये हो
- (2) मृत पुत्र के पुत्रों को जो वयस्क हो गये हों
- (3) विविहित पुत्रियों को जिनके पति जीवित हों
- (4) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हो

को देय नहीं होगा, यदि खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार को कोई सदस्य हो

परन्तु यह और कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवायें और संतान या संतानें अपने बीच बराबर-बराबर भाग में केवल उस अंश को प्राप्त करेंगे, जिसे वह पुत्र प्राप्त करता यदि वह अभिदाता के बाद तक जीवित रहता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट दी गयी होती।

टिप्पणी (Note)–(1) अभिदाता के परिवार के सदस्य को इस नियम के अधीन देय कोई धनराशिभविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य में निहित होती है।

टिप्पणी (Note)–(2) जहाँ कोई नामांकित भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अभिदाता का आश्रित हो, वहाँ धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामांकित में निहित होती है।

(दो) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और यदि नियम 13 के या एतदपूर्व प्रकृत तत्समान नियम के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन है तो निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि या उसका भाग जिसके सम्बन्ध में नामांकन हो, उसके नामांकित या नामांकितियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट अनुपात में देय होगा।

(तीन) जब अभिदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता और नियम 13 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि के केवल एक भाग से सम्बन्धित हो तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के सुसंगत उपबन्ध ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग पर जिसके सम्बन्ध में नामांकन न हो, प्रयोज्य होंगे।

8— कतिपय मामलों भुगतान पर रोक (Bar to Payment in Certain Cases)–नियम 7 में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि परिषद् ने ऐसे अभ्यर्पण (Assignment) या विल्लंगम (Encumbrance) की नोटिस प्राप्त की हो, जिससे अभिदाता की जमा धनराशि के निस्तारण पर प्रभाव हो तो वह अभिदाता को ऐसी सम्पूर्ण धनराशि के या उसके किसी भाग के भुगतान को रोक सकती और इस प्रकार रोक ली गई धनराशि ऐसे अभ्यर्पण या विल्लंगम के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के निदेशानुसार संवितरित (Disbursed) की जायेगी।

9. अस्थायी अग्रिम (Temporary Advance)–(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अभिदाता की आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जो इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही को न्यायोचित ठहराती हैं, तो वह अभिदाता के आवेदन-पत्र देने पर, उसे नीचे दी गई सीमा तक भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम लेने की अनुमति दे सकता है—

(क) गृह के निर्माण या क्रय करने के लिये बारह मास से अनधिक का वेतन या आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें से जो भी कम हो या

(ख) अभिदाता या उसकी पुत्री या पुत्र के विवाह के व्यय को पूरा करने के लिये छः मास से अनधिक का वेतन या आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें से जो भी कम हो या

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये व्यय को पूरा करने के लिये तीन मास से अनधिक का वेतन या आवेदन-पत्र दिये जाने के दिनांक को भविष्य निधि में अभिदाता के नाम जमा धनराशि का आधा, इसमें से जो भी कम हो।

(2) पूर्ववर्ती खण्ड (ग) के अधीन कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित न हो—

(क) अभिदाता या उनके कुटुम्ब के किसी सदस्य की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता या

(ख) अन्त्येष्टि या अन्य समारोह जिसका सम्पादन करना अभिदाता के लिये बाध्यकर है या

(ग) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा या

(घ) कोई अन्य बात कि जिसे सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त और अपरिहार्य समझा जाये।

(3) जहाँ अभिदाता को पहले से कोई अग्रिम दिया गया हो, वहाँ उप- नियम (1) के अधीन कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा, जब तक कि पहले से लिये गये अग्रिम का पूर्ण प्रतिदान न कर दिया जाये।

9-क. निधि से प्रत्याहरण (Withdrawal from the fund)—(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, नियम 9 के अधीन विशेष कारणों से कोई अग्रिम स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है:—

टिप्पणी (Note) — भविष्य निधि से अन्तिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन— पत्र प्रपत्र 4 में होगा

(क) अभिदाता द्वारा 20 वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों, यदि कोई हो, भी है) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष के भीतर जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अर्थात्

(एक) उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिराके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो अभिदाता या अभिदाता पर

आश्रित संतान का निम्नलिखित मामलों में यात्रा व्यय भी है, अर्थात्—

(क) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम केलिये भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम में,

(दो) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य सम्बन्धी के विवाह के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(तीन) अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के सम्बन्ध में व्यय, जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये,

(ख) अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हो, भी है) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो और फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये, अग्रिम की पात्रता के लिये प्रवृत्त वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान राशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अर्थात् —

(एक) फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये अग्रिम के प्रतिदान के लिये,

(दो) उसकी मोटरकार, साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसके ओवरहाल करने के लिये,

(ग) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की संवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हो, भी है) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर जो पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये अर्थात्—

(एक) उसके आवास के लिये उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिये जिसके अन्तर्गत स्थल का मूल्य भी है,

(दो) उसके आवास के लिये उपयुक्त गृह बनाने या उपयुक्त गृह या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से लिये ऋण के पट्टे की बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिये

(तीन) उसके आवास के लिये गृह बनाने के लिये स्थल क्रय करने या इस प्रयोजन केलिये स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के पट्टे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिये,

(चार) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये गृह का फ्लैट के पुर्ननिर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये

(पाँच) पैतृक गृह का पुनरुद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(छः) उपखण्ड (तीन) के अधीन क्रय किये गये थल पर गृह का निर्माण करने के लिये,

- (घ) अभिदाता द्वारा तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बादबहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खंडित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी है) पूरी करनेके पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पालिसियाँ जिसके अन्तर्गत निधि से इससे पूर्व वित्त पोषित की जा रही पालिसियाँ भी है, के प्रीमियम प्रीमियमों का निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये,
- (ङ) अभिदाता की सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर निधि से उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से किसी फार्म की भूमि या कारबार का भू-गृहादि यादों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी (Note)–(1) इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी। किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेसर परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र की जिसमें गृह या फ्लैट स्थित हो, नगर पालिका निकाय द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित नये नक्शों के अनुसार हो, या जीवन बीमा की पालिसियों के प्रीमियम प्रीमियमों के भुगतान और भिन्न-भिन्न वर्षों में संतानों की शिक्षा को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ-साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह केसम्बन्ध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा मानो एक के पश्चात् दूसरा प्रत्याहरण पृथक-पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणी (Note)–(2) एक ही गृह को पूरा करने के लिये खण्ड: (ग) के उप-खण्ड (एक) या (दो) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी-5 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी (Note)–(3) जीवन बीमा की समस्त पालिसियों के प्रीमियम प्रीमियमों के भुगतानलिये एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणी (Note)–(4) ऐसा अभिदाता जो फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग- 1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इसमें के सन्बन्ध में किसी अन्य सरकार स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक), (तीन), (चार) और (छः) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और नियम 9-ख के उप-नियम विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त नियमों के अधीन लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजनके लिये भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी (Note)–(5) ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिये उपर्युक्त के अनुसारलारा प्रत्याहृत करने का प्रस्ताव है. अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवा निवृत्त के पश्चात् उसकेआवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित हो गा। यदि अभिदाता के पास कोई पैत्रक गृह या उसने सरकारकेहनय ऋण की सहायता से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रयलय किसी अन्य गृह के निर्माण के लिये तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिये खण्ड(ग) के उपखण्ड (एक), (तीन) और (छः) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी (Note)–(6) खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारीद्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा कि

- (एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है
- (दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है
- (तीन) प्रत्याहृत धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता की हो प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन या मोचन करने के लिये पर्याप्त होगी
- (चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिसके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा
- (पाँच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख पत्र और कागजात स्वीकृति प्राधिकारी की प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसका हक साबित हों।

टिप्पणी (Note)–(7)—खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के अधीन प्रत्याहरण के लिये प्रस्तावित धनराशि और उप खण्ड (एक) के अधीन पूर्व प्रत्याहरित धनराशि, यदि कोई हो, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पणी (Note)–(8) खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) या (चार) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहाँ गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नाम निर्देशन में भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिती हों ।

स्पष्टीकरण (Explanation) (1)—जहाँ अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतन्त्र आवासिक प्रयोजन के लिये उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह प्लेट का स्वामी हो, वहाँ उसे यथास्थिति गृह स्थल या गृह प्लेट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिये कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण (Explanation) (2) – स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भूखण्ड पर गृह निर्माण करने के लिये भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण (Explanation) (3) – गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकारके ऋण चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग- 1 के अधीनसरकार से या निम्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुज्ञेय है ।

टिप्पणी (Note) (9) नियम 9 – ख के अधीन रहते हुये, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी चाहें अभिदाता ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5, भाग-1 दिये गये नियमों के अधीन उसी प्रयोजन के लिये कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनों श्रोतों से ली गई कुल धनराशि, यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो ।

टिप्पणी (Note) (10) जीवन बीमा पालिसियाँ जिनके सम्बन्ध में खण्ड (घ) के अधीन प्रत्याहरणस्वीकृत किया जाये, अभिदाता की पत्नी या पति और सन्तान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्यहिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई नहीं होनी चाहियें

टिप्पणी (Note) (11) – यदि नियम-9 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसीसमय स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) जब अभिदाता अपनी भविष्य निधि पासबुक या नियम-16 के उपनियम (1) के अधीन जाराकिये गये भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण और अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने के सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृति किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति में भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होनी चाहिये और उसकी एकप्रति सामान्य भविष्य निधि पासबुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी को और लेखाधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी ।

(3) साधारणतया किसी अभिदाता को अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्त के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा विशेष मामलों में जिसमें ऐसे प्रत्याहरण की स्वीकृति अपरिहार्य है उसे स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति के प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखाधिकारी को और, अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखाधिकारी को तुरन्त अधिसूचित की जाये और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाये उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्याहरण की धनराशि नियम-7 के अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक् रूप से समायोजित की जाये ।

9-ख. प्रत्याहरण की शर्तें (Conditions for withdrawal)–(1)(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 9-क के खण्ड (क), (ग) (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी विशेष मामलों में स्वीकृति अधिकारी :

(एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और

(दो) निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमा खाते में अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) धनराशि तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:

परन्तु किसी मामले में नियम 9—क के उप—नियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (चार) और परन्तु (पाँच) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी।

टिप्पणी (Note) (1) — गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी (Note) (2) — किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रम के लिए या इस प्रयोजन के लिए, लिए गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है ऐसे मामलों में जहाँ अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन जिसके अन्तर्गत किसी विकास अधिकरण, आवास परिषद्, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्ववित्त पोषित योजना भी है निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब—जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाए उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 9—क के उप—नियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

(ख) नियम 9—क के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उप—खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में धनराशि की आधी या यथास्थिति मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इसमें जो भी सबसे कम हो, तक होगी।

(ग) नियम 9—क के उप—नियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में धनराशि की आधी मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी सबसे कम हो, तक होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम 9—क के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसा युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये सभाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों में या तो एक मुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाये, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी (Note) (1)—विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा

टिप्पणी (Note) (2)—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना है या उस प्रयोजन के लिये उसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिये।

टिप्पणी (Note) (3)— गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय के लिये भुगतान करने के लिये प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा

स्पष्टीकरण (Explanation)— विक्रय या अन्तरण विलेख के सम्बन्ध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी (Note) (4)— किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित का फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये किसी अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 9—क के उप—नियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक), (दो) या (तीन) के अधीन अग्रिम निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनिमय द्वारा या अन्य प्रकार से अलग नहीं होगा—

परन्तु ऐसी अनुज्ञा—

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, या

(दो) आवास परिषद्, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय राष्ट्रीय कृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।

9—ग. अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तन (Conversion of an advance into a withdrawal)—नियम 9 के अधीन अग्रिम स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिदाता के जिसने किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके लिये इस नियमावली के अधीन अंतिम प्रत्याहरण भी अनुमत्य हो, नियम—9 के अधीन अग्रिम पहले ही आहरित कर लिया हो, लिखित अनुरोध पर नियम 9—क और 9—ख में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुये अग्रिम के देय अतिशेष को अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पणी (Note) (1)—आहरण एवं वितरण अधिकारी उपरिलिखित सक्षम प्राधिकारी से किसी अग्रिम को अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर वेतन वृत्त से वसूली रोक देगा। ऐसे अभिदाताओं के मामले में जो स्वयं आहरण अधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन सम्बन्धी आदेश की एक प्रति कोषागार अधिकारी को जहाँ से अभिदाता अपना वेतन आहरित करता हो, पृष्ठांकित करेगा, जिससे कि कोषागार अधिकारी अग्रेतर वसूलियों को रोक सकें। परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेगा।

टिप्पणी (Note) (2)—प्रत्याहरण में परिवर्तित किये जाने वाले अग्रिम की धनराशि नियम 9—ख के उप—नियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी और इस प्रयोजन के लिये परिवर्तन के समय अभिदाता के खाते में अतिशेष और अग्रिम की बकाया धनराशि को निधि में उसके जमा खाते में अतिशेष समझा जायेगा। प्रत्येक प्रत्याहरण को एक पृथक प्रत्याहरण समझा जायेगा और यही सिद्धान्त एक से अधिक परिवर्तनों की दशा में भी लागू होगा।

10. राष्ट्रीय विकास योजना आदि में विनियोजन के लिए अग्रिम (Advance for investment in national development scheme, etc.)—नियुक्ति प्राधिकारी नियम 9 में अधिकाधिक निबन्धनों को शिथिल कर सकता है और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के (जिनके अन्तर्गत प्रतिदान के सम्बन्ध में शर्तें, यदि कोई हो, हैं) अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करना आवश्यक समझे राष्ट्र निर्माण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चालू किये गये ऋण में या प्रारम्भ की गई या चलाई गई किसी वित्तीय योजना में अभिदान करने के लिए अभिदाता को अग्रिम दे सकता है।

11. अग्रिम की वसूली (Recovery of Advance)—(1) नियम 9 के अधीन अभिदाता को भुगतान की गई किसी धनराशि की वसूली—

(क) तीन मास तक के वेतन के अग्रिम की स्थिति में, चौबीस से अनधिक किस्तों में,

(ख) छः मास तक के वेतन के अग्रिम की स्थिति में, छत्तीस से अनधिक किस्तों में, और

(ग) बारह मास तक के वेतन की स्थिति में, अड़तालिस से अनधिक किस्तों में, उसके वेतन से अनिवार्य कटौती करके की जायेगी और यह नियम 4 के उप—नियम (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये अभिदान के अतिरिक्त होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अभिदाता अपने विकल्प पर, यथास्थिति, चौबीस या छत्तीस या अड़तालिस से कम किस्तों में प्रतिदान कर सकता है या एक बार में दो या अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कटौतियाँ प्रतिमास की जायेगी जो अग्रिम के आहरण होने और भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् पूरे मास के वेतन का प्रथम भुगतान किये जाने से प्रारम्भ होगी।

12. ब्याज की वसूली (Recovery of Interest)–(1) अभिदाता, नियम 9 के अधीन उसे भुगतान की गई धनराशि पर भुगतान के दिनांक से नियम 11 के अनुसार उसका पूर्व प्रतिदान किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए प्रतिमाह 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि मुस्लिम अभिदाताओं से, जिनकी भविष्य निधि में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ब्याज के मद्दे उस निधि में किसी अतिरिक्त किस्तों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) ब्याज साधारणतया मूलधन के पूर्ण प्रतिदान के पश्चात्त्वर्ती महीने में एक किस्त में वसूल किया जायेगा, किन्तु यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि बीस महीने से अधिक हो तो उसे यदि अभिदाता ऐसा चाहे, दो समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा।

13. नाम निर्देशन (Nomination)–(1) प्रत्येक अभिदाता से उसके भविष्य निधि का सदस्य हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र संख्या 2 में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा, जिसमें उससे ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा वह रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए कहा जायेगा, जिन्हें तथा उसके अनुसार अभिदाता के नाम जमा धनराशि का भुगतान उसकी मृत्यु हो जाने पर किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन की गई घोषणा में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता और नई घोषणा ठीक पूर्व की घोषणा के स्थान पर उस दिनांक से प्रवर्तनीय होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी को प्राप्त होगी।

(3) ऐसी सभी घोषणाएँ जो प्रवृत्त हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की वैयक्तिक अभिरक्षा में सावधानी से अभिलिखित की जायेगी।

14. कतिपय मामलों में भुगतान पर रोक (Bar to payment in certain cases)–(1) परिषद् सेवा से पदच्युत किसी कर्मचारी की दशा में उसके लेखों में अपने द्वारा किये गये सम्पूर्ण अंशदान या उसके किसी भाग की उस पर प्रोदभूत ब्याज के सहित रोक सकती है।

(2) उपनियम (1) के अधीन रोकी गयी धनराशि भविष्य निधि की धनराशि से प्रत्याहृत (With & draw) करके उसे बेसिक निधि में जमा की जायेगी।

15. अभिदान का समपहरण (Forfeiture of Subscription)– किसी कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में अभिदत्त धनराशि किसी ऐसे अपराध के सिवाय जिसके लिए विधि द्वारा अपराधी की सम्पूर्ण सम्पत्ति के समपहरण की शास्ति विहित की गई हो पदच्युत किये जाने या दाण्डिक न्यायालय (Criminal Court) द्वारा दोष सिद्ध होने पर समपहृत नहीं की जायेगी।

16. लेखे का विवरण जो प्रस्तुत किया जाये (Statement of account to be furnished)–(1) वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र 3 में एक विवरण दिया जायेगा।

(2) अभिदाता ऐसे विवरण के सही होने के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा, जब तक कि इस विवरण के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर उसकी गलतियों को नियुक्ति प्राधिकारी की जानकारी में न लाया जाये नियुक्ति प्राधिकारी या परिषद् विवरण के किसी गलती या लोप के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

17. अवकाश के दौरान अभिदान (Subscription during Leave)–कोई भी कर्मचारी जब वह अपने अवकाश को नियंत्रित करने की नियमावली के अधीन विशेषाधिकार अवकाश (Privilege Leave) या औसत वेतन के अवकाश से भिन्न अवकाश पर ही भविष्य निधि में अभिदान नहीं करेगा।

18. लेखे का बन्द किया जाना (Closure of Account)–अभिदाता द्वारा परिषद् की सेवा छोड़ देने पर उसका लेखा बन्द कर दिया जायेगा और यदि उसके नाम जमा धनराशि एक वर्ष के भीतर प्रत्याहृत (Withdraw) न कर ली जाये, उक्त लेखा निष्क्रिय लेखा (Dead Account) के रूप में बड़े खाते में डाला जायेगा और उस पर इस प्रकार के लेखे पर प्रयोज्य नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. प्रतिभूतियों में विनियोजन (Investment in securities)–परिषद् इस नियमावली में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भविष्य निधि में कोई धनराशि प्रत्याहृत कर सकती है और इस प्रत्याहृत धनराशि को

डाक नकद प्रमाण-पत्र, सावधि जमा (Cumulative time Deposit) या अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर सकती है ।

प्रतिबन्ध यह है कि भविष्य निधि में ऐसी धनराशि रोक रखी जायेगी जो इस नियमावली के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी माह में निकाली गई सबसे बड़ी धनराशि के बराबर हो ।

20. बेसिक शिक्षा निधि के लिए भुगतान के सम्यन्ध में निदेश (Directon as topayment for Basic Education Fund)—यदि किसी समय इस नियमावली के अधीन भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि भविष्य निधि लेखा की जमा में धृत शेष से अधिक हो तो ऐसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान बेसिक शिक्षा निधि से किया जायेगा और बाद में उसे इस नियमावली के अधीन किये गए अभिदान से वसूल कर लिया जायेगा ।

21. अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होना (Application to TemporaryEmployees)—परिषद् राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से निदेश दे सकती है कि यह नियमावली परिषद् के किसी वर्ग या वर्गों के अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगी ।

The U.P. Basic Education Provident Fund Rules, 1975

**Published Vide Notification No. 3523/15(5) - 334-73, Dated 19.7.1975, Published
In The U.P. Gazette, Extraordinary, Dated 19.7.1975**

1. Short title. - These Rules may be called the Uttar Pradesh Basic Education Provident Fund Rules, 1975.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "*Act*" means the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972;
- (b) "*appointing authority*" means the authority specified in Column 2 of the Schedule to Uttar Pradesh Basic Education Staff Rules, 1973;
- (c) "*Board*" means the Uttar Pradesh Board of Basic Education;
- (d) "*employee*" means every teacher, officer and other employee appointed by the Board under sub-section (1) of Section 6 or transferred to the Board under sub-section (1) of Section 9 of the Act;
- (e) "*Interest*" means interest payable on a deposit in the Provident Fund at the rates fixed by the State Government from time to time;
- (f) "*Pay*" shall have the meaning assigned to it under sub-rule (21) of Rule 9 of the Fundamental Rules, Vol. II, Parts II - IV;
- (g) "*Subscriber*" means an employee who is entitled to subscribe to Provident Fund established under Rule 3.

3. Establishment of Provident Fund. - The Board shall establish and maintain a Provident Fund for its employees.

4. Contributions to the Provident Fund. - (1) Every permanent employee shall subscribe to the Provident Fund every month at a rate which is not less than 10 percent of his pay and does not exceed such rate as may from time to time be prescribed by the Board with the previous approval of the State Government. The amount of subscriptions shall be expressed in whole rupees.

(2) The amount to be subscribed by an employee under sub-rule (1) shall be deducted from his pay and shall be at once credited to the Provident Fund established under Rule 3.

(3) The Board shall make a contribution equal to one-half of the amount of the deduction from pay under sub-rule (2) :

Provided that such contribution shall in no case exceed an amount equal to one-twentieth of the pay of the employee :

Provided further that the Board shall make no contribution to the Provident Fund in respect of employees covered either by the Pension Regulations of the respective Nagar Mahapalikas or the Zila Parishad Employees' Retirement Rules, 1972.

5. Deposit of contributions. - (1) Subject to any directions of the State Government, an account of the Provident Fund established under Rule 3 shall, at the discretion of the Board, be opened in the Government Treasury.

(2) Where an account of the Provident fund is opened in the Government Treasury, the interest payable on the amount in deposit to the-credit of a subscriber shall be paid by the State Government.

6. Account of subscribers. - (1) The Board shall maintain in Form I in respect of each one of the subscribers a personal ledger account.

(2) In the personal ledger account, there shall be credited -

(a) in respect of an employee appointed under Section 6 of the Act -

- (i) all subscriptions made by the subscriber and the Board under these rules;
- (ii) all deposits made by the subscriber in repayment of advance under Rule 11 and Rule 12;
- (iii) all the amount if any, standing to the credit of the subscriber in a Provident Fund under the control of the Board immediately before the commencement of these rules; and
- (iv) interest, if any, accruing due on the amounts hereinbefore mentioned.

(b) in respect of an employee transferred under Section 9 of the Act, -

- (i) all subscriptions made by the subscriber and the Board under these rules;
- (ii) all deposits made by the subscriber in repayment of advances under Rule 11 and Rule 12;
- (iii) the amount, if any, in a Provident Fund maintained by local body and transferred to the Board under sub-section (5) of Section 9 of the Act;
- (iv) the amount, if any, standing to the credit of the subscriber in a Provident Fund under the control of the Board immediately before the commencement of these rules; and
- (v) interest, if any, accruing due on the amounts hereinbefore mentioned.

7. Procedure on death of subscriber. - On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made, the amount at the credit of the subscriber shall be paid in the following manner -

(i) when the subscriber leaves a family; and -

- (a) if a nomination made by a subscriber in accordance with the provisions of Rule 13 or of the corresponding rule heretofore in force, in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

- (b) if no such nomination in favour of a member of the family of the subscriber subsists, or if such nomination related only to a part of the amount standing in his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to -

- (1) sons who have attained majority;
- (2) sons of a deceased son who have attained majority;
- (3) married daughters whose husbands are alive;
- (4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4)

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

Note- (1) Any sum payable under this rule to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of the Provident Funds Act, 1925.

Note- (2) When a nominee is a dependent of the subscriber as defined in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section (2) of Section 3 of the Act.

- (ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of Rule 13 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of any person or persons subsists the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.
- (iii) when the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of Rule 13, subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident funds Act, 1925, shall be applicable to the whole amount or the part thereof, to which the nomination does not relate.

8. Bar to payments in certain cases. - Notwithstanding anything contained in Rule 7, where the Board has received notice of an assignment or encumbrance affecting the disposal of the amount in deposit of a subscriber it may withhold payment of the whole or part of such amount to the subscriber (and the amount so withheld shall be disbursed in accordance with the directions of the authority empowered to deal with such assignment or encumbrance).

9. Temporary advance. - (1) If the appointing authority is satisfied that the pecuniary circumstances of a subscriber are such as to justify an action under this rule, it may, on the application of the subscriber, allow to him out of the Provident fund a temporary advance to the extent mentioned below -

- (a) not exceeding 12 months' pay or one-half of the amount at the credit of the subscriber in the Provident Fund on the date of the application, whichever is less, for the construction or purchase of a house; or
 - (b) not exceeding 6 months' pay or one-half of the amount at the credit of the subscriber in the Provident Fund on the date of the application, whichever is less, to meet the expenses in connection with the marriage of the subscriber or his daughter or son; or
 - (c) not exceeding three months' pay or one-half of the amount at the credit of the subscriber in the Provident Fund on the date of the application, whichever is less, to meet expenses for purposes other than those mentioned in clauses (a) and (b) above.
- (2) No advance shall be made under the foregoing clause (c) unless it is required to meet expenses in connection with -
- (a) the illness, confinement or disability of a subscriber or a member of his family; or
 - (b) the funeral or other ceremony which it is obligatory on the subscriber to perform; or
 - (c) the education of a person wholly dependant on the subscriber; or
 - (d) any other thing which, having regard to all the circumstances, is considered by the appointing authority to be reasonable and unavoidable.
- (3) Where an advance has already been granted to a subscriber, no advance shall be made under sub-rule (1) until the complete repayment of the last advance taken.

9A. Withdrawal from the Fund. - (1) Subject to the conditions specified herein, final withdrawals which will not be repayable may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under Rule 9 at any time as follows :

Note. - Application for final withdrawal from the Provident Fund shall be in Form 4.

- (A) After the completion of twenty years of service (including period of suspension followed by reinstatement and other broken period of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier, from the amount standing to his credit in the fund, for one or more of the following purposes, namely -
- (i) Meeting cost of higher education, including where necessary the travelling expenses of the subscriber or any dependant child of the subscriber in the following cases namely -
 - (a) education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
 - (b) medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage.
 - (ii) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and any other relation actually dependant on him;
 - (iii) meeting the expenses in connection with the illness, confinement or disability including where necessary the travelling expenses of the subscriber, members of his family or any other person actually dependant on him.

(B) After the completion of twenty years of service (including periods of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier, and subject to the restrictions in respect of pay in force for the eligibility of advances for the purchase of a motor car, motor cycle or scooter (including moped) under the rules in the Financial Handbook, Volume V, Part I, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :-

- (i) purchasing a motor car, motor cycle or scooter (including moped) or for repaying an advance already taken for the purpose under the rules in the Financial Handbook, Volume V, Part I;
- (ii) extensive repairs or overhauling of his motor car, motor cycle or scooter.

(C) After the completion of fifteen years of service (including period of suspension of followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever be earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :

- (i) Building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site;
- (ii) Repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready built flat for Iris residence;
- (iii) Purchasing a site for building a house for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
- (iv) Reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;
- (v) Renovation, additions or alterations for upkeep of an ancestral house;
- (vi) Constructing a house on a site purchased under sub-clause (iii).

(D) After the completion of three years of service (including periods of suspension followed by reinstatement and other broken periods of service, if any) of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of paying premium/premia of policies of his insurance, not exceeding, four, including existing policies hitherto being financed from the Fund, effected by the subscriber on his own life or on the joint lives of the subscriber and his/her wife or husband.

(E) Within twelve months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

Note 1. - Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this rule but marriage of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the municipal body of the area where the house or flat is situated or payment of premium/premia of policies of life insurance and education of children in different years shall not be treated as the same purpose. If two or more marriages are to be celebrated simultaneously the amount admissible in respect of each marriage will be determined as if the withdrawals are sanctioned separately one after the other.

Note 2. - Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (b) of clause (c) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note 5.

Note 3. - Only one withdrawal shall be allowed in a year for the payment of premium/premia of all policies of life insurance.

Note 4. - A subscriber who has availed himself of an advance for house/building purpose under the rules in the Financial Handbook, Volume V, Part I or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (i), (iii), (iv), (vi) of clause (c) for the purposes specified and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid rules subject to the limit specified in sub-rule (1) of Rule 9-B.

Note 5. - The house, flat or site for a house for which the amount, as aforesaid is proposed to be withdrawn shall be situated at the place of duty of the subscriber or his intended place of residence after retirement. If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Government, he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (i), (iii) and (vi) of clause (c) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready built flat at the place of his duty.

Note 6. - Withdrawal for the purposes specified in clause (c) shall be sanctioned after the sanctioning authority has satisfied itself that -

- (i) the amount is actually required for the purpose mentioned by the subscriber;
- (ii) the subscriber possesses or intends to acquire forthwith the right to build a house on the proposed site;
- (iii) the amount withdrawn together with such other private savings, if any, as the subscriber may have, would be sufficient to build, acquire or redeem the house of the type proposed;
- (iv) in the case of withdrawal for the purchase of a house site, house or ready built flat, the subscriber will secure an undisputed title to the house site, house or flat including the site;
- (v) for the purposes referred to in clause (iv) above, the subscriber has produced necessary deeds and papers to the sanctioning authority proving his title in respect of the property in question.

Note 7. - The amount proposed to be withdrawn under sub-clause (ii) of clause (c) together with the amount previously withdrawn, if any, under sub-clause (i) shall not exceed $\frac{3}{4}$ th of the balance on the date of application.

Note 8. - Withdrawal under sub-clause (i) or (iv) of clause (c) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Explanation 1. - Where a subscriber already owns a house site or a house or a flat, other than such share in a joint property as is not suitable for independent residential purpose he will not be sanctioned a withdrawal for the purchase, building, acquisition or redemption of a house site or a house, or a flat, as the case may be.

Explanation 2. - Withdrawal may also be allowed for acquiring or building a house on a plot of land on lease from local bodies.

Explanation 3. - Withdrawal is permissible for repayment of any sort of loan taken for house building purposes whether the same has been taken from a private party or from Government under the Financial Handbook, Volume V, Part I or under the low or Middle Income Group Housing Scheme.

Note 9. - Subject to the monetary limits laid down in clause (b) of sub-rule (1) of Rule 9-B, a withdrawal for the purchase of a motor car, motor cycle or scooter (including moped) may also be allowed when the subscriber has already taken an advance for the same purpose under the rules in the Financial handbook, Volume V, Part 1 provided that the total amount from both these sources does not exceed the actual price of the motor car, motor cycle or scooter, as the case may be.

Note 10. - The Life Insurance policies in respect of which withdrawal are sanctioned under clause (d) should not have been effected for the benefit of any beneficiary other than the wife or husband of the subscriber or the wife or husband and children of the subscriber or any of them.

Note 11. - A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if an advance under Rule 9 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Fund with reference to his Provident Fund pass-book or the latest available statement of Provident Fund Account issued under sub-rule (16) together with the evidence of subsequent subscriptions, the competent authority may sanction withdrawal within the prescribed limit. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or advance already sanctioned in favour of the subscriber. The sanction for tire withdrawal must indicate the Provident Fund Account number and a copy thereof be endorsed to the Drawing and Disbursing Officer maintaining the Provident Fund pass-books as well as to the Accounts Officer.

(3) Ordinarily no withdrawal will be sanctioned to a subscriber during the last six months preceding his retirement on superannuation. In special cases in which the sanction of such a withdrawal is unavoidable, it may be sanctioned, but it will be the responsibility of the sanctioning authority to ensure that such a sanction is promptly notified to the Accounts Officer in the case of a Group 'D' employee and to the drawing and disbursing Officer and the Accounts Officer in the case of other subscribers, and acknowledgement thereof obtained from them without any delay. It will also be ensured by the above authorities that the amount of withdrawal is duly adjusted against the amount to be paid to the subscriber under Rule 7.

9B. Conditions for withdrawal. - (1) (a) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in clause (a), (c), (d) or (e) of Rule 9-A from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay whichever is less. In special cases the sanctioning authority may however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to $\frac{3}{4}$ th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, and (ii) the amount to his credit in the Fund :

Provided that in no case the amount of withdrawal for purposes specified in sub-clauses (iv) and (v) of clause (c) of sub-rule (1) of Rule 9-A shall exceed Rs. 40,000.

Note 1. - In the case of construction of a house, if the amount of withdrawal exceeds Rs. 40,000 it will ordinarily be permitted to be drawn in two instalments. However, if the subscriber applies for the entire amount of withdrawal to be released in one instalment and the sanctioning authority is satisfied with the justification given therefor, the entire amount may be released accordingly. The sanction will be issued for the entire amount of the withdrawal and if it is to be drawn in instalments, the number thereof will be specified in the sanctioning order.

Note 2. - For outright purchase of a site, house or flat, or for the repayment of a loan taken for the purpose, the withdrawal may be allowed in one instalment. In cases where a subscriber has to pay

in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed under a scheme, including a Self-Financing Scheme of a Development Authority, Housing Board, Local Body or House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment of any instalment, every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of Rule 9-A.

(b) The amount of withdrawal for the purposes specified in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 9-B shall be limited to Rs. 50,000 or one-half of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund or the actual price of the motor car, motor cycle or scooter (including moped), as the case may be, whichever is the least.

(c) The amount of withdrawal for the purposes specified in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 9-A shall be limited to Rs. 5000 or one-half of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund or the actual amount of repairing or overhauling, whichever is the least.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under Rule 9-A shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been utilised for the purpose for which it was withdrawn, shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined.

Note 1. - The withdrawal for marriage shall be utilised within three months.

Note 2. - The construction of the house shall be commenced within six months of withdrawal of money and should be completed within a period of one year from the date of commencement of construction. However, if the house is to be purchased or redeemed or a private loan previously raised for the purpose has to be repaid, this should be done within three months of the withdrawal.

Note 3. - The house site shall be purchased within a period of one month of the withdrawal or the withdrawal of the first instalment, as the case may be.

In fulfilment of this condition, the sanctioning authority may require the production of receipts issued by the seller, the house building society etc., in token of the amount of the withdrawal/instalments having been utilised for making payment towards purchase of the site.

Explanation. - The actual expenditure incurred in connection with sale or transfer deeds may be reckoned as part of the cost of the house or house site.

Note 4. - The withdrawal for an insurance policy shall be utilised by the date on which premium was due to be paid and the subscriber shall be required to produce attested or photostat copy of the receipt issued by the Life Insurance Corporation failing which no further withdrawal for this purpose shall be permitted.

(3) A subscriber who has been permitted under sub-clauses (i), (ii) or (iii) of clause (c) of sub-rule (1) of Rule 9-A to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund shall not part with the possession of the house built or acquired or house site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Governor), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Governor :

Provided that such permission shall not be necessary for -

- (i) the house or house site being leased for any term not exceeding three years; or
- (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Development Authority, Local Body, Nationalised Bank, the life Insurance Corporation or any other corporation owned or controlled by the Central or the State Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.]

9C. Conversion of an advance into a withdrawal. - The authority competent to sanction an advance under Rule 9 may, on a written request from a subscriber who has earlier drawn an advance under Rule 9 for a purpose for which a final withdrawal is also admissible under these rules, convert the outstanding balance of the advance into a final withdrawal, subject to the fulfilment of conditions laid down in Rules 9-A and 9-B.

Note 1. - The Drawing and Disbursing Officer shall on receipt of information from the competent authority mentioned above, regarding conversion of an advance into a final withdrawal, stop recovery from the pay bills. In the case of subscribers who are self-drawing officers, of the competent authority shall endorse a copy of the order regarding such conversion to the Treasury Officer from where the subscriber draws his pay in order to enable the former to stop further recoveries. In every case of conversion the competent authority shall endorse a copy of his order to the Accounts Officer also.

Note 2. - The amount of an advance to be converted into a withdrawal shall not exceed the limits laid down in sub-rule (1) of Rule 9-B and for this purpose the balance in the account of the subscriber at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance at his credit in the Fund. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

10. Advance for investment in national development scheme, etc. - The appointing authority may relax the restrictions laid down in Rule 9 and may, subject to such terms and conditions (including conditions as to repayment, if any) as he may consider necessary to impose, allow an advance to a subscriber for subscribing to any loan floated or financial scheme launched by the Central Government or the State Government for nation building purposes.

11. Recovery of advances. - (1) Any amount paid to a subscriber under Rule 9 shall be recovered from him as under -

- (a) in not more than twenty-four instalments in case of advance up to three months' pay;
- (b) in not more than thirty-six instalments in case of advance up to six months pay; and
- (c) in forty-eight instalments in case of advance up to twelve months' pay by compulsory deductions from his pay and this shall be in addition to the subscription made by him under sub-rule (1) of Rule 4 :

Provided that a subscriber may at his option make repayments in less than twenty-four or thirty-six or forty-eight instalments, as the case may be, or may repay two or more instalments at a time.

(2) The deductions under sub-rule (1) shall be made monthly commencing from the first payment of a full month's pay after the advance has been drawn and paid.

12. Recovery of interest. - (1) A subscriber shall pay interest at the rate of 1/5 per cent per months on the amount paid to him under Rule 9 for the period from the date of payment to the date of its complete repayment in accordance with Rule 11 :

Provided that Muslim subscribers whose deposits in the Provident Fund carry no interest shall not be required to pay into that fund any additional instalments on account of interest.

(2) Interest shall ordinarily be recovered in one instalment in the month after complete repayment of the principal, but if the period referred to in sub-rule (1) exceeds twenty months, shall if the subscriber so desires, be recovered in two equal monthly instalments.

13. Nominations. - (1) Each subscriber shall, as soon as possible after he joins the Provident Fund, be called upon by the appointing authority to furnish a declaration in Form No. 2 specifying the persons to whom and the manner in which the amount to the credit of the subscriber shall be paid on his death.

(2) A declaration made under sub-rule (1) may be revised from time to time and the fresh declaration shall be operative in place of the declaration immediately preceding it from the date on which it is received by the appointing authority.

(3) All such declarations as are in force shall be carefully recorded in the personal custody of the appointing authority.

14. Bar to payment in certain cases. - (1) The Board may, in the case of an employee dismissed from service, withhold all or any part of the contribution made by the Board to his account together with the interest accrued thereon.

(2) Any amount withheld under sub-rule (1) shall be withdrawn from the Provident Fund amount and credited to the Basic Education Fund.

15. Forfeiture of subscription. - The amount subscribed by an employee to the Provident Fund shall not be liable to forfeiture on dismissal or on conviction by a criminal court except for an offence for which the penalty of forfeiture of the whole of the offender's property is prescribed by law.

16. Statement of account to be furnished. - (1) As soon as possible, after the close of the year a statement in Form 3 shall be furnished to every subscriber.

(2) The subscriber shall satisfy himself as to the correctness of such statement and unless errors therein are brought to the notice of the appointing authority within one month from the date of the receipt of the statement, the appointing authority or the Board shall not be responsible for any error or omission in the statement.

17. Subscription during leave. - An employee shall not be eligible to subscribe to the Provident fund while absent on leave other than privilege leave or leave on average pay under the rules governing the leave of such employee.

18. Closure of account. - On a subscriber leaving the service of the Board, his account shall be closed and unless the amount at his credit be withdrawn within one year, the account shall be written off as a dead account and shall be dealt with in accordance with the rules applicable to such account.

19. Investment in securities. - Notwithstanding anything contained in these rules, the Board may withdraw any money from the Provident Fund and may invest the amount so withdrawn in postal cash certificates, cumulative time-deposit or other Government securities :

Provided that an amount equal to the largest amount drawn in any one month during the last five years under these rules is retained in the Provident Fund.

20. Direction as to payment for Basic Education Fund. - If at any time, the amount required for payment under these rules exceeds the balance held in deposit in the Provident Fund account, the excess amount shall be paid from the Basic Education Fund and shall be subsequently recovered from the subscriptions made under these rules.

21. Application to temporary employees. - The Board may, with the previous approval of the State Government, direct that these rules shall also apply to any class or classes of temporary employees of the Board.